पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में
2023 का आपराधिक अपील (खं.पी.) संख्या 653

थाना कांड संख्या 217 वर्ष-2019 थाना-बिक्रमगंज जिला-रोहतास से उत्पन्न

==========

रवीन्द्र सिंह, पिता- श्री लालजी हसाह उर्फ लालजी सिंह, निवासी ग्राम-करन सराय (कुरान सराय बनकट मथिला), थाना - सरैया (कोरन सराय), जिला-बक्सर

.....अपीलकर्ता/गण

बनाम

बिहार राज्य

.....प्रतिवादी/गण

==========

साथ में

2023 का आपराधिक अपील (खं.पी.) सं. 816

थाना कांड संख्या 217 वर्ष-2019 थाना-बिक्रमगंज जिला-रोहतास से उत्पन्न

==========

रुकसाद उर्फ रुखशाद, पिता- दिलशाद, निवासी ग्राम-शिवरावणे, थाना- मुढ़ा पांडेय, जिला-मुरादाबाद (उ.प्र.)

.....अपीलकर्ता/गण

बनाम

बिहार राज्य

.....प्रतिवादी/गण

==========

उपस्थिति :

(2023 के आपराधिक अपील (खं.पी.) संख्या 653 में)

अपीलकर्ता/गण के लिए : श्री चंद्र मोहन सिंह, अधिवक्ता

प्रतिवादी/गण के लिए : श्री दिलीप कुमार सिन्हा, स.लो.अभि.

(2023 का आपराधिक अपील (खं.पी.) संख्या 816 में)

अपीलकर्ता/गण के लिए : श्री दिवाकर प्रसाद सिंह, अधिवक्ता

प्रतिवादी/गण के लिए : श्री दिलीप कुमार सिन्हा, स.लो.अभि.

==========

अधिनियम/धाराएं/नियम:

- *भारतीय दंड संहिता की धाराएं 376 और 302*
- *लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धाराएं 4, 6*
- *अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धाराएं 3 (2) (V) और 3 (1) (W) (I) (II)*

संदर्भित मामले:

- *हनुमंत बनाम मध्य प्रदेश राज्य : 1952(2) एससीसी 71*
- *तुफैल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य : (1969) 3 एससीसी 198*
- *राम गोपाल बनाम महाराष्ट्र राज्य : (1972) 4 एससीसी 625*
- *शरद बिरधी चंद शारदा बनाम। महाराष्ट्र राज्य : (1984) 4 एससीसी 116*
- *शिवाजी साहेबराव बोबडे एवं अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य : (1973) 2 एससीसी 793*
- *पडाला वीरा रेड्डी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य : 1989 अनुपूरक (2) एससीसी 706*
- *गंभीर बनाम महाराष्ट्र राज्य : (1982) 2 एससीसी 351*
- *नवनीतकृष्णन बनाम राज्य पुलिस निरीक्षक द्वारा : (2018) 16 एससीसी 161*

अपील- *उस दोषसिद्धि आदेश के खिलाफ दायर की गई अपील, जिसके द्वारा अपीलकर्ताओं को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 और 302 तथा 2012 के पोक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया।*

निर्णय- *अपीलकर्ताओं के खिलाफ केवल एक साक्ष्य है, जो मृतक की दादी का है, जिसमें उसने रवींद्र को मृतक को घटना से पहले बिस्किट देते हुए देखा था। घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी गवाह नहीं है और न ही कोई गवाह है जिसने घटना के पूर्व या बाद में*

अपीलकर्ताओं को किसी दिशा में जाते हुए देखा हो। मृतक निश्चित रूप से गला घोंटकर मारा गया था। हालांकि, मृतक के साथ दुष्कर्म होने के बारे में कोई ठोस निष्कर्ष नहीं है। मृतक के साथ दुष्कर्म होने की संभावना हो सकती है, और हम ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि एक पांच साल की लड़की की हाइमन फटी हुई पाई गई और लैबिया-माजोरा पर दो स्थानों पर चोट के निशान पाए गए। यदि मृतक के साथ गला घोंटने से पहले दुष्कर्म नहीं हुआ था, तो निश्चित रूप से उसे यौन रूप से हमला किया गया और उल्लंघन किया गया। (पैरा 26)घटना से कुछ समय पहले एक सह-गांववाले द्वारा बिस्किट देना कोई परिस्थिति नहीं है। (पैरा 45)

अपील मंजूर की जाती है। *(पैरा 49)*

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय आदेश

==========

कोरमः माननीय न्यायमूर्ति श्री आशुतोष कुमार

और

माननीय न्यायमूर्ति श्री नवनीत कुमार पाण्डेय

मौखिक निर्णय

(द्वाराः माननीय न्यायमूर्ति श्री आशुतोष कुमार)

तिथि - 07-01-2025

दोनों अपीलों पर एक साथ विचार किया गया है और इस उभयनिष्ठ/ समान निर्णय द्वारा उनका निपटारा किया जा रहा है।

2. हमने श्री चंद्र मोहन सिंह, जो अपीलकर्ता/ रवींद्र सिंह के विद्वान अधिवक्ता हैं। 2023 की आपराधिक अपील (खं.पी.) संख्या 653 में और श्री दिवाकर प्रसाद सिंह, अपीलकर्ता/रुक्सद @रुक्सद के विद्वान अधिवक्ता 2023 की आपराधिक अपील (खं.पी.) सं. 816 में, को सुना।

3. दोनों अपीलों में राज्य का प्रतिनिधित्व विद्वान स.लो.अभि. श्री दिलीप कुमार सिन्हा ने किया है।

4. दोनों अपीलकर्ताओं को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 और 302 *(संक्षेप में भा.द.वि.)* और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 *(संक्षिप्त में पॉक्सो अधिनियम, 2012)* की धारा 6 के तहत अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया है। विद्वान जिला और सत्र न्यायाधीश 7वें -सह-विशेष विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो), सासाराम द्वारा पारित दिनांक 19.04.2023 के निर्णय के माध्यम से, 2019 के विक्रमगंज थाना कांड संख्या 217 से संबन्धित 2019 के पॉक्सो मामले संख्या 42 में तथा दिनांक 28.04.2023 के आदेश द्वारा, उन्हें 20 साल के लिए सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। साथ ही जुर्माना भी 50,000/- प्रत्येक को और जुर्माने के भुगतान की

चूक की स्थिति में, पॉक्सो अधिनियम, 2012 की धारा 6 के तहत अपराध के लिए अतिरिक्त छह महीने के लिए साधारण कारावास होगा।

5. एक पाँच साल की लड़की के साथ बलात्कार और गला घोंटकर हत्या करने का आरोप है। उसके पिता/संतोष राजवार (अभियोजन साक्षी 4) ने अन्य लोगोकी मदद से शव बरामद किया। अपीलकर्ताओं पर अपराध कारितकरने का संदेह था।

6. कहा जाता है कि अपीलकर्ता/रवींद्र सिंह ने घटना से पहले पीड़ित को एक बिस्कुट दिया था। अपीलकर्ता/रुक्सद @रुक्सद को रवींद्र का मित्र कहा जाता है, जो उससे मिलने दिल्ली से आया था। वे दोनों कुछ समय के लिए एक सह-ग्रामीण के घर में रह रहे थे। इसलिए दोनों अपीलकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया।

7. अभिलेखों से यह प्रतीत होता है कि अनुसंधान केवल पूर्व-उल्लिखित दो अपीलकर्ताओं के खिलाफ केवल संदेह के आधार पर की गई थी। हालाँकि अपीलकर्ताओं की चिकित्सकीय जाँच कराने के लिए कुछ प्रयास किए गए थे, लेकिन अभिलेख पर ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है जो केवल एक निष्कर्ष की ओर ले जाता है कि मृतका के बलात्कार और हत्या के अपराध के संबंध में कुछ भी ठोस प्राप्त नहीं किया जा सका।

8. मृतका के पिता (अभियोजन साक्षी 4) की एक भयावहकहानी अभियोजन पक्ष के मामले का आधार बनती है।

9. अभियोजन साक्षी 4 (पिता) ने लगभग 10:40 बजे बिक्रमगंज के करुणा अस्पताल में दिनांक 30.04.2019 को *फरदबेयान* दर्ज कराया था। ,यहआरोप लगाते हुए कि उनकी पत्नी/आशा देवी (अभियोजन साक्षी 3) ने उन्हें उनके कार्यस्थल, एक राइस मिल प्लांट में सूचित किया था कि उनकी पांच साल की बेटी घर से लापता है। इस तरह की जानकारी पर वह 30.04.2019 को लगभग 8:30 बजे रात्री में घर वापस आया उसकी पत्नी ने बताया कि रवींद्र, जो अपने पड़ोसी सुरेंद्र महतो के सह-भाई का पुत्र है, और

उसका दोस्त, जो दिल्ली से आया था, कुछ समय पहले पीड़ित/ मृतका के साथ खेल रहा था। इस सूचना पर अभियोजन साक्षी4 अन्य ग्रामीणों के साथ रवींद्र सिंह के घर गया और उन्हें और उनके दोस्त को घेर लिया, जिन्होंने कोई विशेष जवाब नहीं दिया। वास्तव में, यहदिखावा के लिए हो सकते हैं,कीउनकी बेटी की खोज करने की पेशकश की।। कुछ ही समय बाद उनकी बेटी का शव खेत में मिला। मृत शरीर को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि उसका गला घोंट दिया गया था क्योंकि लिगचर का निशान था और मृतका के गुप्तांगों से खून बह रहा था। इससे यह धारणा बनी कि शायद अपीलकर्ताओं ने मृतका के साथ बलात्कार किया था और उसकी हत्या कर दी थी।

10. अभियोजन साक्षी 4 के पूर्व-उल्लिखित *फरदबयान* के आधार पर, भा.द.वि की धारा 376 /302/34 और पॉक्सो अधिनियम, 2012 की धारा 4 और 6 तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा (2) (V) and 3 (1) (W) (I) (II) के तहत अनुसंधानके लिए 2019 का बिक्रमगंज थाना कांड संख्या 217, दर्ज किया गया था।

11. पुलिस, संदेह की एक ही रेखा पर चलते हुए, अपीलार्थियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया, जिसके बाद मामला सुनवाई के लिए विशेष अदालत को सौंप दिया गया।

12. विचारण न्यायालय/विशेष न्यायालय ने अभियोजन पक्ष की ओर से ग्यारह गवाहों और बचाव पक्ष की ओर से एक गवाह के परीक्षण करने के बाद अपीलार्थियों को दोषी ठहराया और उपरोक्त वर्णित सजा सुनाई।

13. आक्षेपित निर्णय पर टिप्पणी करते समय अपीलकर्ताओं का कहना है कि बेतुके संदेह के अलावा अपीलकर्ताओं के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। अपीलार्थियों की ओर से तर्क का दूसरा हिस्सा यह है कि यह अभियोजन साक्षी 4 और उसके परिवार के सदस्यों की ओर से रवींद्र को फंसाने का एक जानबूझकर किया गया प्रयास है और चूंकि

उसका दोस्त दिल्ली से उससे मिलने आया था, उसे भी इस कहानी में शामिल कर लिया गया, ताकि बलात्कार और हत्या की कहानी को विश्वसनीयता दी जा सके इसका कारण जमीन के एक भूखंड पर विवाद था जिसे रवींद्र ने अपनी पत्नी के नाम पर खरीदा था और वह जमीन का भूखंड मृतका की मां अभियोजन साक्षी 3 के कब्जे में था और जिसके लिए अदालतों में एक दीवानी मामला भी लंबित था।

14. पीड़िता की दादी (अभियोजन साक्षी 1) एकमात्र व्यक्ति हैं जिन्होंने रवींद्र को मृतका को बिस्कुट देते देखा था। इसके बाद मृतका की मां उसकी तलाश में आई। तब अभियोजन साक्षी 1 ने पीडिताकी माँ को रवींद्र द्वारा बिस्कुट देने के बारे में बताया। इसके बाद पूरी कहानी सामने आई।। मृतका की मां ने अपने पति (अभियोजन साक्षी 4) को फोन किया, जो घर वापस आए और ग्रामीणों की मदद से शव का पता लगाया। अभियोजन साक्षी 1 ने अपनी जिरह/प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि जमीन के एक भूखंड के लिए विक्रमगंज अदालत में एक मामला लंबित था जिसमें वह और रवींद्र दोनों पक्षकार थे। प्रश्नगत भूमि पर किसी का कब्जा नहीं था। रवींद्र सिंह लंबे समय से दिल्ली में काम कर रहे थे और उस दिन उनके दोस्त (अपीलकर्ता /रुक्सद @रुक्सद) भी गाँव आए थे। जब मृतका का शव बरामद हुआ, तो उसे लाल टी-शर्ट और एक जोड़ी जींस पहना हुआ पाया गया। यह ध्यान दिया जाए कि अभियोजन पक्ष का कथन यह है कि मृतका को खेत में नग्न पाया गया था। उसने यह परीक्षण सुझाव कि पीड़ित की प्राकृतिक मृत्यु हुई थी और भूमि विवाद के कारण इस मामले को गलत तरीके से रखा गया था, जिसे उसने दृढ़ता से अस्वीकार किया।

15. मृतका की नानी (अभियोजन साक्षी 2) के पास भी विचारण न्यायालय को सुनाने के लिए एक ही कहानी थी, अर्थात्, अपीलकर्ताओं के खिलाफ संदेह और उसके तुरंत बाद मृत शरीर की बरामदगी। अनुसंधान के दौरान पुलिस ने उससे पूछताछ नहीं की

थी।। हालाँकि, उन्होंने भी भूमि के एक हिस्से के संबंध में पक्षों के बीच लंबित एक दीवानी मामले के तथ्य की पुष्टि की।

16. मृतका की माँ का परीक्षण अभियोजन साक्षी 3 के रूप में की गई है, जिसने अपीलकर्ता/रुक्सद @रुक्सद को पहले कभी नहीं देखा था। हालाँकि, वह 29.04.2019 की शाम को लगभग 5 बजे अपीलकर्ताओं को देखने का दावा करती है। उनसे उनकी कोई बातचीत नहीं हुई। उसकी सास (अभियोजन साक्षी 1) ने उसे बताया कि रवींद्र ने शाम को मृतका को कभी-कभी बिस्कुट की पेशकश की थी। जब उसे यह प्रतिपरिक्षण सुझाव दिया गया था कि मृतका द्वारा खाए गए किसी खाद्य पदार्थ ने उसे बीमार कर दिया था और उसकी स्वाभाविक मृत्यु हो गई थी, लेकिन अपीलकर्ताओं को उद्देश्यपूर्ण तरीके से फंसाया गया था, जिसे उसने अस्वीकार कर दिया।

17. इसी तरह का बयान पीड़िताके पिता (अभियोजन साक्षी 4) द्वारा दिया गया है, जो इस मामले के सूचक हैं। वह विचारण न्यायालय को यह बताने में बहुत स्पष्ट थे कि मृतका की गर्दन बंधी हुई थी और उसे कपड़े के टुकड़े से बांध दिया गया था। उसके गुप्तांगों से खून बह रहा था। अपनी जिरह/ प्रतिपरिक्षण में, उसने यह भी स्वीकार किया है कि उसका अपीलकर्ता/रवींद्र के साथ विवाद था। उन्होंने खुलासा किया कि प्रश्नगत भूमि रवींद्र ने अपने चाचा से अपनी पत्नी के नाम पर खरीदी थी और यह विवाद लगभग चार से पांच साल से जारी था। घटना के बाद उन्होंने दोनों अपीलकर्ताओं को देखा था। उन दोनों ने मृतक की तलाश करने का कोई प्रयास नहीं किया था। उन्होंने भी इस सुझाव का खंडन किया है कि अपीलार्थियों को गलत तरीके से फंसाया गया था।

18. शव का *पोस्टमार्टम* एक चिकित्सा बोर्ड द्वारा किया गया था जिसमें डॉ. बी. के. पुस्कर (अभियोजन साक्षी 5) सदस्यों में से एक थे। बोर्ड ने गर्दन के चारों ओर थायराइड उपास्थि के ऊपर एक बंधन का निशान पाया था। हाइमेन टूटा हुआ पाया गया। योनि के निचले हिस्से में खून के थक्के थे। लैबिया-मजोरा पर दो स्थानों पर खरोंच थी।

योनि स्वाब को हिस्टो-पैथोलॉजिकल जांच के लिए लिया गया था। लिगचर के निशान के नीचे खून का अत्यधिक बहाव था जो गर्दन के ऑपरेशन पर देखा गया था। गर्दन की मांसपेशियों में चोट पाया गया। गर्दन की बड़ी नस को अवरुद्ध और सूजनयुक्त पाया गया। श्वासनली और स्वरयंत्र टूटा हुआ पाया गया। शरीर के किसी अन्य हिस्से पर कोई चोट नहीं थी। अभियोजन साक्षी5 के अनुसार, योनि स्वेब की सूक्ष्म जांच सदर अस्पताल, सासाराम में तैनात रोगविज्ञानी/ चिकित्सक डॉ. एस. एस. प्रसाद द्वारा की गई थी। उनके द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट के अनुसार, कोई भी शुक्राणु, मृत या जीवित नहीं पाया गया था। मृत्यु का कारण दम घुटना अनुमानित किया गया और मृत्यु का समय बारह से चौबीस घंटे लगभग के बीच अनुमानित किया गया।

19. इस प्रकार, मेडिकल बोर्ड द्वारा यह निष्कर्ष निकाला गया कि भले ही योनि के स्वाब की सूक्ष्मदर्शी द्वारा परीक्षण में कोई शुक्राणु नहीं पाया गया था, लेकिन *पोस्टमॉर्टम* परीक्षणमें निष्कर्षों से पता चला कि बलात्कार की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है।

20. सुरेश राजवार और संजय राजवार (अभियोजन साक्षी 6 और अभियोजन साक्षी 7) ने क्रमशः घटना या अपीलार्थियों के खिलाफ आरोप के बारे में कुछ भी विशिष्ट नहीं दिया और इसलिए, उनके बयानों पर वर्तमान में चर्चा नहीं की जा रही है।

21. इस मामले के अनुसंधानकर्ता (अभियोजन साक्षी 8) ने विचारण न्यायालय के समक्ष दावा किया है कि उसने घटना के बाद कथित रूप से रवींद्र सिंह और रुक्सद उर्फ रुक्सद को गिरफ्तार किया था। उनके कपड़े भी जब्त कर लिए गए और एक जब्त सूची (प्रदर्श 4) तैयार की गई। दोनों अपीलकर्ताओं को यह पता लगाने के लिए चिकित्सा जांच के लिए भेजा गया था कि क्या वे बलात्कार के दोषी थे या उन्होंने कोई मादक पदार्थ का सेवन किया था। कपड़ों को फोरेंसिक जांच के लिए भी भेजा गया था।

22. शोभा रानी (अभियोजन साक्षी 9) ने भी अनुसंधान में भाग लिया था। उसने पंचनामा रिपोर्ट तैयार की थी और उसका मानना था कि शायद मृतका के साथ पहले बलात्कार किया गया और फिर उसकी गला दबाकर हत्या कर दी गई।।

23. फोरेंसिक साक्ष्य के लिए, ट्रायल कोर्ट को राज्य फोरेंसिक प्रयोगशाला, पटना में जैविक विज्ञान के सहायक निदेशक डॉ. सुहानी जैन (अभियोजन साक्षी 10) के साक्ष्य पेश की गई थी। उसने पीड़ित और अपीलकर्ताओं के कपड़ों की जांच की थी, जिन्हें छह पार्सल में भेजा गया था। इनमें से किसी भी कपड़े पर वीर्य का कोई निशान नहीं था। हालाँकि सभी कपड़ों पर भूरे रंग के दाग थे, लेकिन वे न तो सख्त महसूस हो रहेथे और न ही वे पराबैंगनी प्रकाश में किसी भी विशेषता वाले नीले सफेद प्रतिदीप्ति का उत्पादन करते थे।

24. सीरोलॉजिस्ट रिपोर्ट (अभियोजन साक्षी 11) का हमारे लिए कोई महत्व नहीं है क्योंकि रक्त के धब्बे ग्रुप-बी के पाए गए थे, लेकिन मृतक या अपीलकर्ताओं के रक्त समूह के बारे में रिकॉर्ड में कोई रिपोर्ट नहीं है।

25. अपीलकर्ता /रवींद्र सिंह के मामा विचारण न्यायालय. के समक्ष पेश हुए। बचावपक्ष साक्षी 1 के रूप में, जिन्होंने आरोप को रवींद्र और मृतका के माता-पिता के बीच भूमि विवाद का परिणाम बताया।

26. इस प्रकार, सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए, अपीलकर्ताओं के खिलाफ एकमात्र सबूत यह है की मृतका की दादी जिसनेरवींद्र को घटना से पहले मृतकाको बिस्कुट देते हुए देखा था। घटना का कोई चश्मदीद गवाह नहीं है और न ही इस बात का कोई गवाह है कि उसने घटना से पहले या बाद में अपीलकर्ताओं को किसी भी दिशा में बढ़ते हुए देखा था। मृतका की निश्चित रूप से गला घोंटकर हत्या कर दी गई थी। परंतु मृतका के साथ बलात्कार होने के बारे में कोई निष्कर्ष नहीं है। मृतका के साथ बलात्कार होने की संभावना हो सकती है और हम इस कारण से कहते हैं कि एक पाँच साल की

लड़की का हाइमेन टूटा हुआ पाया गया था और लैबिया-मजोरा पर दो स्थानों पर चोट के निशान पाए गए थे। यदि मृतका का गला घोंटने से पहले बलात्कार नहीं किया गया था, तो निश्चित रूप से उस पर यौन हमला किया गया और उसका उल्लंघन किया गया।

27. यह सवाल है कि यह किसने किया, जिसके लिए एक उत्तर की आवश्यकता है।

28. क्या किसी एक अपीलकर्ता द्वारा मृतका को बिस्कुट देना यह विश्वास करने के लिए एक परिस्थितिजन्य सबूत हो सकता है कि अपीलकर्ता और उसके दोस्त ने बलात्कार और हत्या को अंजाम दिया था?

29. यह अनुसंधान का प्रारंभिक बिंदु हो सकता है, लेकिन इसे इस तथ्य के किसी निश्चित प्रमाण के रूप में नहीं लिया जा सकता है कि अपीलकर्ताओं द्वारा मृतक के साथ बलात्कार किया गया था और गला घोंटकर हत्या की गई थी।

30. परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मूल्यांकन से संबंधित कानून को उच्चतम न्यायालय द्वारा ***हनुमंत बनाम मध्य प्रदेश राज्य : 1952 (2) एस.सी.सी. 71***, मामले में बहुत संक्षिप्त रूप से समझाया गया हैकि जिन मामलों में साक्ष्य परिस्थितिजन्य प्रकृति का होगा जिससे अपराध का निष्कर्ष निकाला जाता है, उन साक्ष्यों को पूरी तरह से स्थापित किया जाना चाहिए और इस तरह से स्थापित सभी तथ्य केवल अभियुक्त के अपराध की परिकल्पना के अनुरूप होने चाहिए। परिस्थितियाँ निर्णायक प्रकृति और प्रवृत्ति की होनी चाहिए। उन्हें ऐसा होना चाहिए कि हर दूसरी परिकल्पना को अस्वीकार कर दिया जाए, सिवाय उस परिकल्पना के जिसे सिद्ध किया जाना है। साथ ही, अपने आप में सबूतों की एक पूर्ण श्रृंखला होनी चाहिए, जिससे किसी भी उचित संदेह के लिए कोई जगह नहीं बचे कि आरोपी निर्दोष भी हो सकता है। इस तरह के सिद्धांत का आज तक लगातार पालन किया जाता रहा है। [इस संदर्भ मे ***तुफैल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य : (1969) 3***

एस. सी. सी. 198; राम गोपाल बनाम महाराष्ट्र राज्य : (1972) 4 एस. सी. सी. 625 और ***शरद बर्धी चंद शारदा बनाम महाराष्ट्र राज्य : (1984) 4 एससीसी 116 भी देखें।***]

31. ***शिवाजी साहेबराव बोबडे एवं अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य : (1973) 2 एससीसी 793*** में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आगे स्पष्टीकरण दिया गया, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने संकेत दिया कि संबंधित परिस्थितियाँ *"अवश्य या चाहिए"* और *"स्थापित की जा सकती हैं"* नहीं। साबित किया जा सकता है और साबित किया जाना चाहिए या साबित किया जाना चाहिए के बीच न केवल व्याकरणिक बल्कि कानूनी अंतर भी है। [***पडाला वीरा रेड्डी बनाम आंध्रप्रदेश राज्य : 1989 सप. (2) एस.सी.सी. 706; गंभीर बनाम महाराष्ट्र राज्य : (1982) 2 एस.सी.सी. 351*** और ***नवनीतकृष्णन बनाम पुलिस निरीक्षक द्वारा राज्यः (2018) 16 एससीसी 161 भी देखें***]।

32. अब तक परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मूल्यांकन के लिए।

33. हमने मामले को एक अलग दृष्टिकोण से भी परखा है। अपीलकर्ताओं में से एक, अर्थात, रवींद्र सिंह ने अभियोजन साक्षी 4 के चाचा से जमीन का एक भूखंड खरीदा था। यह खरीद विवाद में चली गई। यह भूमि, संभवतः, किसी के भौतिक कब्जे में नहीं थी और परती पड़ी थी। जाहिर है, इसलिए, रवींद्र और मृतक के माता-पिता के बीच दुश्मनी होगी।

34. किन परिस्थितियों में अपीलकर्ता /रवींद्र ने परिवार की बेटी को बिस्कुट की पेशकश की? ऐसा लगता है कि किसी ने इसका विरोध नहीं किया था। यह शायद मृतका की दादी की उपस्थिति में किया गया था।

35. यदि पड़ोसी स्नेह का ऐसा कोई घटनाक्रम सत्य मान भी लिया जाए, तो क्या इससे किसी के मन में यह संदेह उत्पन्न हो सकता था कि यह पीड़ित को एक सुनसान जगह पर लाने लुभाने के उद्देश्य से किया गया था? अभियोजन पक्ष का ऐसा

मामला भी नहीं है। वास्तव में, दादी (अभियोजन साक्षी 1) ने स्पष्ट रूप से कहा है कि भूमि विवाद के कारण, पीड़िता के साथ बलात्कार किया गया और उसकी हत्या कर दी गई। यह फिर से एक अजीब प्रस्ताव प्रतीत होता है। विवाद लगभग चार से पांच साल तक जारी रहा। अपीलकर्ता/रवींद्र सिंह एक सह-ग्रामीण के सह-भाई का पुत्र है।

36. क्या पाँच साल की लड़की के साथ इस तरह के आपराधिक कृत्य करने का मकसद शत्रुता हो सकती थी?

37. क्या यह यौन वासना के लिए था?

38. इन प्रश्नों का उत्तर दिया जा सकता था यदि अनुसंधान केवल मृतक की दादी, माँ और पिता द्वारा उठाए गए निराधार संदेह पर आधारित न होती।

39. अपीलकर्ताओं को शव मिलने के तुरंत बाद गिरफ्तार कर लिया गया।

40. यह दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 53-ए, का अनुपालन प्रतीत होता है। लेकिन इसने उनके खिलाफ संदेह की सटीकता के बारे में कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं मिला। यदि उन्होंने मृतका के साथ बलात्कार किया होता और उसकी हत्या कर दी होती, तो वे एक ही गाँव में नहीं रहते, विशेष रूप जब दोनों अपीलकर्ता दिल्ली में काम कर रहे थे।

41. किसी सह-ग्रामीण का मित्र इस तरह की गतिविधियों में क्यों शामिल होगा?

42. हम अपीलार्थियों द्वारा ऐसा करने का कोई कारण नहीं देखते हैं। हम ऐसा केवल इस कारण से कह रहे हैं कि उनके अपराध के बारे में निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए उनको नामित करने लायक कोई सबूत नहीं है।

43. ऐसी स्थिति की कल्पना करना भयावह है जहां पांच साल की लड़की का शव खेत में फेंका हुआ पाया जाए और इस तरह का अपराध करने वालों का कोई पता नहीं चले। फिर भी, किसी ऐसे व्यक्ति पर दोषारोपण करना भी उतना ही भयावह होगा जिसके खिलाफ कोई सबूत एकत्र नहीं किया जा सका।

44. इसलिए, इस तरह की स्थिति मे अपीलकर्ताओं को दोषी ठहराना कानून मे उपलब्ध परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मूल्यांकन के बुनियादी सिद्धांतों के तनिक भी अनुकूल नहीं होगा ।

45. सह-ग्रामवासी द्वारा घटना से कुछ पहले बिस्कुट देना कोई परिस्थिति नहीं है।

46. इस मामले के तथ्यों की इस मूल्यांकन पर, हम अपीलकर्ताओं की दोषसिद्धि को पूरी तरह से अनुचित पाते हैं।

47. इसलिए, हम अपीलार्थियों को संदेह का लाभ देते हुए, कानून की नजर में विवादित निर्णय को अनुचित पाते हैं और इसलिए, हम इसे दरकिनार करते हैं।

48. दोनों अपीलकर्ताओं को उनके खिलाफ लगाए गए सभी आरोपों से बरी कर दिया जाता है।

49. अपीलों को स्वीकृत किया जाता है।

50. दोनों अपीलकर्ता जेल में हैं। यदि किसी अन्य मामले में यदि वे अभिरक्षा मे नहीं हैं या वांछित नहीं है तो उन्हें तुरंत जेल से रिहा करने का निर्देश दिया जाता है।

51. इस फैसले की एक प्रति अनुपालन और अभिलेख के लिए तुरंत संबंधित जेल के अधीक्षक को भेजा जाए।

52. इन मामलों के अभिलेखों को तुरंत विचारण न्यायालय को वापस कर दिया जाए।

53. अंतर्वर्ती आवेदन, यदि कोई हो, तो उसका भी तदनुसारनिस्तरण किया जाता है।

(आशुतोष कुमार, न्यायमूर्ति)

(नवनीत कुमार पांडेय, न्यायमूर्ति)

प्रवीण--II/ कुंदन